

20/21

पत्रावली पेश हुई। वकुलाम फरिक्न उपस्थित
पैदासीन अधिकारी आज दीगर कार्य में व्यस्त
हैं। समय पर हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार
शामना दिनांक 23-9-21 को पेश हो। 7

23/21

पत्रावली पेश हुई। वकुलाम फरिक्न उपस्थित
पैदासीन अधिकारी आज दीगर कार्य में व्यस्त
हैं। समय पर हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार
शामना दिनांक 28-9-21 को पेश हो। 7

26/21

पत्रावली पेश हुई। वकुलाम फरिक्न उपस्थित
पैदासीन अधिकारी आज दीगर कार्य में व्यस्त
हैं। समय पर हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार
शामना दिनांक 8-10-21 को पेश हो। 7

8-10-21 पत्रावली पेश हुई। वकील वारीगण के साथ वारी में शपथ
पर PW-1 मोहरी सिद्ध के बयान-पीछ पेश किया।
शाखिल मिलल रही पत्रावली पर दस्तावेज पर प्रदर्श-
01 लजायत-14 प्रदर्शित किये गये। मिलल वास्ते बयान
है। दिनांक 20-10-21 को पेश हो।

Mohar Singh

उप खण्ड अधिकारी
चिड़ावा जिला मुम्बई (राज.)

20/21

पत्रावली राजाव शिबिर सारी में पेश हुई। पत्रावली
पर वकील वारीगण की बयान सुनी गई। पत्रावली पर
प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। वकील
वारीगण की बयान पर मुहक किया गया। समस्त तथ्यों
व दस्तावेजों से वकील वारीगण उक्ति किया जाता है
कि भूमि खसरा नं. 158/4 रकबा 0.76 है। भूमि का
मौजा ग्राम सारी का खानेदार काश्तकार वारी
परव्या-1 को घोषित किया जाता है। ग्राम सारी की
भूमि खसरा नं. 158/3 रकबा 0.76 का खानेदार
काश्तकार वारी सं. 5 व वारी सं. 6 को घोषित
किया जाता है। ग्राम सारी की भूमि खसरा नम्बर
158/2 रकबा 0.02 है, गौ. मु. रास्ता, खसरा नम्बर
158/5 रकबा 0.02 है। गौ. मु. लुइया में वारी सं.
1 का हिस्सा 112 व वारी सं. 5 व 6 का हिस्सा
112 घोषित किया जाता है इस प्रकार खानेदारी
विभागीय की जाके। भूमि खसरा नं. 474/166/3
रकबा 0.06 है। ग्राम सारी की भूमि व खसरा
नम्बर 58/1 रकबा 0.71 है। ग्राम शोशोत की
भूमि के खानेदार काश्तकार वाडिया सं. 2 व
प्रतिवारी सं. 2 को घोषित किया जाता है।



उप खण्ड अधिकारी
चिड़ावा जिला मुम्बई (राज.)

फरद अहकाम

(नियम 26)

उपरखण्ड अधिकारी मुकाम चिड़वा

मोहर सिंह बनाम हवालदार वगैरे

दना न सन

क्र.सं.	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए ।
	<p>भूमि खसरा नम्बर 474/166/1 रकबा 0.03 है व खसरा नम्बर 158/1 रकबा 0.03 है कुल 0.06 है ग्राम सारी तथा भूमि खसरा नम्बर 58/2 रकबा 0.7 है ग्राम सोझोत वारी संख्या 3 व 4 एवं परिवारी संख्या-1 को खालेदार काश्तकार घोषित किया जाता है भूमि खसरा नं 474/166/2 रकबा 0.06 है ग्राम सारी तथा खसरा नम्बर 58/3 रकबा 0.7 है ग्राम सोझोत का वारी संख्या 7 लगायत 10 को खालेदार काश्तकार घोषित किया जाता है ग्राम सोझोत की भूमि खसरा नम्बर 58/4 रकबा 0.01 है गौंमुठ कुया व खसरा नम्बर 58/5 रकबा 0.02 है गौंमुठ रास्ता कुल 0.03 है मे काय्या सं० 2 व परिवारी सं० 2 एक हिस्सा 1/3 वारीगण सं० 3 व 4 एवं परिवारी सं० 1 का एक व हिस्सा 1/3 तथा वारीगण संख्या 7 लगायत 10 का एक व हिस्सा 1/3 के हिस्से से शामिल मे रहेगी।</p> <p>भूमि खसरा नम्बर 165/3 रकबा 0.35 है, खसरा नम्बर 157/2 रकबा 0.22 है कुल 0.57 है ग्राम सारी का खालेदार काश्तकार वारीगण संख्या 11 लगायत 13 को घोषित किया जाता है भूमि खसरा नम्बर 165/2 रकबा 0.37 है, खसरा नम्बर 297 रकबा 0.21 है कुल 0.58 है ग्राम सारी के खालेदार काश्तकार वारी सं० 14 लगायत 16 को घोषित किया जाता है भूमि खसरा नम्बर 157/1 रकबा 0.23 है खसरा नम्बर 165/1 रकबा 0.31 है, खसरा नम्बर 417/168 रकबा 0.02 है खसरा नम्बर 166 रकबा 0.02 है कुल 0.58 है का खालेदार काश्तकार वारी संख्या 17 व 18 को घोषित किया जाता है</p>	

उप खण्ड अधिकारी
चिड़वा जिला मुन्बुनू (राज.)

तारीख
हकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

वादीगण व परिवारीगण के वादग्रस्त अराजिगत
के उपरोक्तगुणार विप्राजित कर रखा है जिसका
नजरी नक्शा पदरी-17 व पदरी-16 वाड पछ
के संलग्न है। नजरी नक्शा पदरी-17 व पदरी-
16 निर्णय डिक्की का भाग रहेगा। वादग्रस्त भूमि
से परिवारीगण संख्या 3 लगायत 18 का नाम दजफ
करने के आदेश दिये जाते हैं। नदमीलदार विप्राज
उक्तागुणार पशकाराण का राजस्व रिक्की में
अमल इराद करे। किसी भी खतेदार-काश्तकार
का वादग्रस्त भूमि में से हिस्सा परिवर्तन होने पर
उसका हिस्सा बैंक रक है जिससे बैंक के हित प्रभावित
होते हैं जो बैंक रक मुक्त होने पर ही निर्णय की
पालन राजस्व रिक्की में भी पर्वे। पर्वी डिक्की
का भी जाकर वाड नक्शील जाणा दखील
दफ्तर है।

रूप खण्ड अधिकारी

चिड़ावा जिला मुन्धुनु (राज.)